

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-आकाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)  
दायर दिनांक  
13.05.2024  
उनवान

निर्णय दिनांक  
27.05.2024

प्रकरण संख्या  
184/2024

1. गीता देवी पत्नी राजू लाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज. - प्रार्थी

1. गोपाल पुत्र तुलछीराम सुनार, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज. बनाम

2. सुरेश लाल पुत्र तुलछीराम सुनार, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.

3. सांवरमल पुत्र तुलछीराम सुनार, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.

4. हेमराज पुत्र तुलछीराम सुनार, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.

5. देवीलाल पुत्र भैरु बलाई, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.

6. छगन पुत्र जयराम कीर, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.

7. नारायण पुत्र जयराम कीर, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.

8. रामचन्द्र पुत्र जयराम कीर, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.


9. कैलाश पुत्र चुन्नी लाल मोची, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.

10. किशन पुत्र चुन्नी लाल मोची, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.

1. दीपक पुत्र चुन्नी लाल मोची, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

उपस्थित-अधिवक्ता प्रार्थी उदयसिंह चारण  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं

:- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-


:- निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा भोपालगढ प0ह0 भोपालगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 141 की अभिलिखित आराजियात 3076/160, 37/4 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0749 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है। इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई।

राजि वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।


तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मोजा भोपालगढ प0ह0 भोपालगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 141 की अभिलिखित आराजियात 3076/160, 37/4 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0749 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य करने से पूर्व फरिक्केन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की सहायता में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर पत्थरगढी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर



उपस्थित अधिवक्ता

भीलवाडा

सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे। पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आव्हान निवृत्ति सोमनाथ)  
~~उपलब्ध अधिकारी~~  
भीलवाडा